




फर्द अहकीम  
(नियम 26)

इसेखां वगैरा बनाम इस्सन वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म का कार्यवाही मय इन्ीशियल्य जज प्रार्थना पत्र - 212 संख्या <u>231</u> <u>01.08.19</u> वर्ष 2019	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
01.08.2019	<p>आज यह पत्रावली मूल दावा के साथ पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित हैं को सुना गया। प्रस्तुत दरतावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी 23.09.2019 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नं0 192 रकबा 0.1600है0, 193 रकबा 0.1600हैव वाके ग्राम अलापुर जट्ट तहसील तिजारा जिला अलवर पर आगामी तिथि तक प्रार्थीगण के हिस्से तक की आराजी में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करने एवं मौके व रेकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने के लिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद <b>Absolute</b> कर दिया जावे? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जवाब पेश करे। वकील प्रार्थीगण वास्ते तलवी अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस तलवाने सात दिवस में पेश करे अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त हैं। बाद तलवी पत्रावली वाद के साथ पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">   उपखण्ड अधिकारी  तिजारा (अलवर) </p>	

23/9/19 पत्रावली पेश हुई। वकुलाच फरीकैन उपस्थित  
पूर्वादेशानुसार वास्ते...मु.वा.व.क.पा.ग.  
दिनांक 23/12/19 को पेश हो। 

23/12/19 पत्रावली पेश हुई। वकुलाच फरीकैन उपस्थित  
पूर्वादेशानुसार वास्ते...मु.वा.व.क.पा.ग.  
दिनांक 22/5/20 को पेश हो। 

क्रमांक- 231 / 2015 दिनांक मु- 21/06/21

27/5/20 कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन है जिस कारण न्यायालय में पत्रावलियों की सुनवाई नहीं की जा सकती है इसलिये पत्रावली पूर्वानुसार आगामी दिनांक 21/06/21 को प्रस्तुत हो।

रीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

पत्रावली पेश हुई।  
पुनर्विचार मांगी 21/06/21 को पेश हो।

24/06/21 आज पत्रावली पेश हुई।  
उपस्थित पत्रावली मूल बात के साथ दिनांक 02/06/21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

02/06/21 आज पत्रावली पेश हुई।  
उपस्थित पत्रावली मूल बात के साथ दिनांक 21/06/21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन है जिस कारण न्यायालय में पत्रावलियों की सुनवाई नहीं की जा सकती है इसलिये पत्रावली पूर्वानुसार आगामी दिनांक 21/06/21 को प्रस्तुत हो।

रीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

21/06/21

आज पत्रावली पेश हुई।  
अनुशासक को पत्रावली ले लिये सुनवाई के लिये पत्रावली पेश की जा रही है।  
मूल बात के साथ दिनांक 21/06/21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
तिजारा (अलवर)

कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन है जिस कारण न्यायालय में पत्रावलियों की सुनवाई नहीं की जा सकती है इसलिये पत्रावली पूर्वानुसार आगामी दिनांक 22/06/21 को प्रस्तुत हो।

रीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन है जिस कारण न्यायालय में पत्रावलियों की सुनवाई नहीं की जा सकती है इसलिये पत्रावली पूर्वानुसार आगामी दिनांक 22/06/21 को प्रस्तुत हो।

रीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

प्रशासनिक मामलों के सम्बन्ध में अभियान-2021  
में संलग्न सूची के अनुसार...

पत्रावली पेश हुई।  
उपस्थित पत्रावली मूल बात के साथ दिनांक 21/06/21 को पेश हो।

शिक्षण प्रदायी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
न्यायालय कलक्टर, तिजारा (अलवर)